⇒ अतः 44वें संविधान संशोधन के बाद सम्पत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया। जिसके लिए अब अनुच्छेद-32 का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार →

1. अनुच्छेद-32 को डॉ० अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया क्योंकि अनुच्छेद-32 का दोहरा महत्व है। यह अन्य अधिकारों की भाँति एक मूल अधिकार है इसलिए राज्य के द्वारा निर्मित विधि से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

2. अनुच्छेद-32 अन्य मूल अधिकारों को क्रियान्वित करता है।

3. उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न प्रकार की याचिका प्रदान की जाती है, जिसमें बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण।

⇒ बन्दी प्रत्यक्षीकरण

↓

उच्चतम न्यायालय

↓

आदेश

↓

पुलिस

↓

व्यक्ति सशरीर प्रस्तुत।

परमादेश - उच्चतर अधिकारी के द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारी को आदेश देना (सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को)।

परमादेश निजी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता।

→ राष्ट्रपति / राज्यपाल सार्वजनिक पद पर होते हुए भी इन्हें रिट जारी नहीं किया जा सकता चूँकि वह पद पर होते हुए भी कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होते।

5. सामान्यतः उच्चतम न्यायालय निजी पदाधिकारियों के विरुद्ध परमादेश नहीं देता और राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक और सार्वजनिक

पद होने के बावजूद भी परमादेश के दायरे में नहीं आते।

5. हाल ही में न्यायिक सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय ने सतत् परमादेश का विचार भी अपनाया है।

6. 1996 में विनीत नारायण वाद में उच्चतम न्यायालय ने सी. बी. आई. के डायरेक्टर को यह परमादेश दिया कि हवाला मामले में भ्रष्टाचार की जाँच हेतु निदेशक सीधे उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट दें और इस मामले की निरन्तर निगरानी हेतु उच्चतम न्यायालय ने CBI के निदेशक को बार-बार परमादेश दिया।

7. शक्ति पृथक्करण के कारण पहले न्यायालय स्पीकर को परमादेश देने से बचते थे लेकिन हाल के वर्षों में स्पीकर को भी परमादेश दिए गए हैं और तमिलनाडु के

राज्यपाल को भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश दिया गया है।

4. अधिकार पृच्छा निजी पद के लिए लागू नहीं होता।